कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004

क्रमांक– 1228/431 /बजट/आउशि/2009 भोपाल, दि. 10/08/09

प्रति,

1.क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा संभाग, म0प्र0,

2आहरण एवं संवितरण अधिकारी, (कोड.0523802008 एवं 006)
कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल

3.वि0क0अधिकारी, (भण्डार–प्रकोष्ठ)
उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।

4.समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।

विषयः–वर्ष 2009–10 के लिए बजट आवंटन ।

संदर्भ– इस कार्यालय का पत्र कमांक–604/431/बजट/आउशि/2009 दि01.4.09

संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के अंतर्गत दिनांक 1.4.2009 से 31.7.2009 के लिए राशि आवंटित की गई थी । यदि इसमें कोई राशि अवशेष हैं तो वर्ष की शेष अवधि में व्यय के लिए उपलब्ध रहेगी । **वित्तीय वर्ष 2009–10** के आगामी शेष अवधि (1 अगस्त–2009 से 31 मार्च–2010) के लिए विभिन्न मदों में संलग्न कम्प्यूटर शीट अनुसार बजट आवंटन एतद्‌द्वारा स्वीकृत किया जाता है । कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं पालन सुनिश्चित करें :–

2. जिन मदों / शीर्ष के अंतर्गत आवंटन दिया जा रहा है । उसका आहरण एवं व्यय उसी मद के अंतर्गत सुनिश्चित करें । बजट आवंटन की जानकारी कार्यालयीन वेबसाईट (http;//www.mp.nic.in/highereducationmp) पर भी उपलब्ध है ।

3 . व्यय करते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का/भण्डार कय नियम एवं चिकित्सा परिचर्या नियमों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जावें एवं मितव्ययता का ध्यान रखे ।

4. विगत वर्ष 2008–09 में यह देखने में आया कि कतिपय शा0 महाविद्यालयों ने आवंटित राशि का समय पर उपयोग नहीं किया गया और न ही समय पर राशि समर्पण की जिससे आवश्यकतानुसार अन्य महाविद्यालयों

को भी राशि आवंटित न होने से उपयोग न हो सकी और वर्ष के अंत में राशि लेप्स होने की स्थिति निर्मित हुई । यह स्थिति ठीक नहीं है । अतः ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसका ध्यान रखते हुए स्वीकृत बजट आवंटन से, यदि किसी मद में बजट की वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है अथवा कम राशि की आवश्यकता प्रतीत होती है तो, उक्त राशि तत्काल अपने कोषालय में, इस कार्यालय के बी0सी0ओ0 कोड 3802 में समर्पित कर, आई0डी0 क्रमांक/दिनांक से इस कार्यालय को अवगत करावें ।

5. संबंधित प्राचार्य, प्रतिमाह वेतन-भत्तों एवं कार्यालयीन व्यय आंकड़ों की जानकारी, अपने अग्रणी शा0 महाविद्यालय/क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को भेजे । क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय प्रति तिमाई अपने अधीनस्थ शा0 महाविद्यालयों के व्यय की एकजाई जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे । **इसके अतिरिक्त जिन भी योजनाओं के अंतर्गत राशि आवंटित की जावेगी । उनके व्यय आंकड़ों की जानकारी उसी माह में, जिस माह आहरण किया गया हो मय कोषालय वाउचर एव दिनांक के सीधे इस कार्यालय को ई-मेल आई.डी पर सूचित करेंगे ।**

6. शासकीय अग्रणी महाविद्यालय छतरपुर, शहडोल, खरगौन, विदिशा, बैतूल श्योपुर एवं शाजापुर को आवंटित राशि में एक तिहाई राशि क्रमशः शा महावि0 बड़ामलहरा,, शा0 महावि0 जैतपुर, शा0 महावि0 कसरावद, शा0 महावि0 शमशाबाद, शा0 महावि0 शाहपुर, शा0 महावि0 विजयपुर, शा0 महावि0 नलखेड़ा, के लिए शामिल है । इसी प्रकार शा0 महावि0 अमरपाटन को आवंटित राशि में से एक तिहाई राशि शा0 महावि0 न्यूरामनगर के लिए शामिल है ।

7. अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, अपने अधीनस्थ शासकीय महाविद्यालयों के व्यय आंकड़ों का मिलान, महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर में दर्ज आंकड़ों से प्रति तिमाही पर संपादित कर, मय प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को जानकारी भेजे

8. उपरोक्त आवंटन आयुक्त, कोष एवं लेखा के सर्वर पर लोड किया गया है । लोड किये गये आवंटन की जानकारी/आई.डी.क्रमांक कोषालय के वेबसाइट www.mptreasury.org पर बी0सी0ओ0 क्रमांक 3802 पर देखी जा सकती है ।

संलग्न-कम्प्यूटर शीट

7.8.2013

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क0– 1229/431/बजट/आउशि/2009 भोपाल, दिनांक– 10/08/09

प्रतिलिपि–

1. मुख्य लेखाधिकारी, टी0सी0–21, कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. उप नियंत्रक (वित्त) आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रणाली, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भोपाल ।
5. समस्त कोषालय / उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश